COVID-19 /महत्वपूर्ण

संख्या– 805 /71–2–2020–698 / 2020 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।
3. निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
4. कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।
5. कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।
6. निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय
एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान, नोएडा।
7. निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।
8. समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज / स्वशासी
राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
9. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2020

विषयः– नोवल कोरोना वायरस डिजीज–19 (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम, प्रबन्धन व उससे प्रभावित व्यक्तियों के उपचार हेतु कन्ज्यूमेबल्स / औषधि / उपकरण / स्पेयर्स के आकस्मिक क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–747–71–2–2020–698 / 2020, दिनांक 23 मार्च, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा COVID-19 से बचाव / उपचार हेतु 07 कन्ज्यूमेबल आइटम / उपकरण (पीपीई किट, एन–95 मास्क, सर्जिकल मास्क, स्टेराइल ग्लब्स, हैण्ड सैनिटाइजर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर एवं ट्राइपाड /हैण्ड हेल्ड थर्मल स्कैनर) के आकस्मिक क्रय किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2– चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–407 / 71–4–2020, दिनांक 23.03.2020 द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालयों / संस्थानों / मेडिकल कालेजों के अतिरिक्त समस्त जिलाधिकारियों को आकस्मिक परिस्थितियों में कोविड–19 की रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु कन्ज्यूमेबल्स के क्रय हेतु दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

3– निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के पत्रांक–पी0जी0आई0 / एम0एम0 / बजट / 19–20 / 1181, दिनांक 27.03.2020 द्वारा नोवल कोरोना वायरस डिजीज–19 (COVID-19) से प्रभावित रोगियों के उपचार हेतु सामग्री / उपकरण क्रय किये जाने हेतु जेम

(GeM) पोर्टल/ई–टेण्डर की अनिवार्यता को शिथिल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– कोविड–19 के फैलाव और उसके निदान के सम्बन्ध में महामारी अधिनियम, 1897, (EPIDEMIC DISEASES ACT, 1897) की धारा–2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा कोविड–19 विनियमावली, 2020 अधिसूचित की गयी है।

5– भारत सरकार के पत्र संख्या–33–4/2020, दिनांक 14.03.2020 के क्रम में राज्य आपदा मोचक निधि से कोरोना वायरस के प्रबंधन हेतु "Measures for quarantine, sample collection and screening तथा Procurement of essential equipments/labs for response to COVID-19" मदों में धनराशि का प्राविधान सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 14.03.2020 निर्गत किया गया है। इसी क्रम में राजस्व अनुभाग–10, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–128/एक–10–2020, दिनांक 14.03.2020 कोविड–19 वायरस कंटेन्मेन्ट के लिये आवश्यक उपकरण आदि का क्रय राज्य आपदा मोचक निधि से अनुमन्य किये जाने का प्राविधान किया गया है।

6– राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–195/एक–11–2020–रा0–11, दिनांक 24.03.2020 द्वारा कोविड–19 महामारी को "आपदा" घोषित करते हुए कोरोना वायरस के रोकथाम एवं उपचार हेतु 01 माह के लिये आपात सामग्री के क्रय हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–50 के अनुसार शिथिलता प्रदान की गयी है तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार क्रय किये जाने का प्राविधान किया गया है।

7– राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन के अनुभाग–10, के शासनादेश संख्या–153/एक –10–2020–33(221)/2011 टी0सी0–2 दिनांक 24.03.2020 एवं शासनादेश संख्या–159 /एक–10– 2020–33(221)/2011टी0सी0–2 दिनांक 27.03.2020 द्वारा कोविड–19 से बचाव एवं प्रबन्धन हेतु जनपदों में स्थापित मेडिकल कालेजों/संस्थानों में आवश्यक उपकरणों/ कंज्यूमेबेल आदि क्रय करने के लिये क्रमशः रू0 2000.00 लाख एवं रू0 150. 00 लाख की धनराशि संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गयी है।

8– इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा कोविड–19 के प्रबंधन हेतु वांछित नान–कन्ज्यूमेबल आइटम/उपकरण तथा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 द्वारा उपर्युल्लिखित शासनादेशों के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल 2016 की धारा–1.4 (a) में उल्लिखित प्राविधानों के आलोक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सुसंगत शासनादेशों एवं उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल की व्यवस्था, जिसमें जेम (GeM) पोर्टल अथवा ई–टेंडरिंग से क्रय की बाध्यता है, को अवक्रमित/शिथिल करते हुए चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों/मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में COVID-19 से बचाव एवं उपचार हेतु आवश्यक उपकरण/कन्ज्यूमेबल/औषधि/ स्पेयर्स का निम्नानुसार **01 माह** के लिये आकस्मिक क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. उपकरण/कन्ज्यूमेबल/औषधि/स्पेयर्स में जिन सामग्रियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आकस्मिक आपूर्तिकर्ता के रूप में, एच0एल0एल0 से क्रय किया गया है, उन्हीं दरों पर एच0एल0एल0 अथवा अन्य

पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग अथवा प्रतिष्ठित निजी मैन्युफैक्चरर्स अथवा उनके अधिकृत डीलर से क्रय किया जा सकता है।

2. कोविड–19 के बचाव एवं उपचार हेतु आवश्यक उपकरण/कन्ज्यूमेबल/औषधि/स्पेयर्स को एम्स, नई दिल्ली/उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पो0, लखनऊ/एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ/के.जी.एम.यू., लखनऊ /डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के ई–टेण्डर के माध्यम से प्राप्त वर्तमान प्रचलित रेट कान्ट्रैक्ट/आपूर्ति आदेश के आधार पर एवं प्रचलित रेट कान्ट्रैक्ट/आपूर्ति आदेश पर वस्तु उपलब्ध न होने की दशा में ई–टेण्डर के माध्यम से प्राप्त गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के रेट कान्ट्रैक्ट/आपूर्ति आदेश पर तथा वर्ष 2018–19 के रेट कान्ट्रैक्ट/आपूर्ति आदेश पर वस्तु उपलब्ध न होने की स्थिति में ई–टेण्डर के माध्यम से प्राप्त 2017–18 के रेट कान्ट्रैक्ट/आपूर्ति आदेश के आधार पर डाउनवर्ड रेट डिवीजन की अण्डरटेकिंग संबंधित फर्म से प्राप्त करते हुए क्रय कर लिया जाय।

3. जहॉ नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथार्टी द्वारा प्राइस कैप इम्पोज किया गया है, वहॉ उन प्राइसकैप में सामग्री का क्रय किया जाय।

4. जेम पोर्टल से किसी उपकरण के क्रय की दशा में स्पेक्स औचित्यपूर्ण होने पर सी0एम0सी0 की शर्त को शिथिल करते हुए 05 वर्ष की वारण्टी अवधि के साथ उपकरण का क्रय किया जा सकता है। 05 वर्ष की वारण्टी के साथ सामग्री /उपकरण उपलब्ध न होने पर उनको क्रय किये जाने के तात्कालिक औचित्य एवं अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए संस्था के प्रमुख के अनुमोदन से 03 वर्ष की वारण्टी अवधि के साथ उनका क्रय किया जा सकता है।

5. कोविड–19 के रोकथाम एवं उपचार हेतु तात्कालिक रूप से आवश्यक कंजूमेबेल्स /औषधि/स्पेयर्स सामग्री का क्रय राजकीय मेडिकल कालेजों एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यो द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पूर्वानुमति के बिना सीधे किया जा सकता है, परन्तु उपकरणों की आवश्यकता एवं औचित्य के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। महानिदेशक द्वारा प्रश्नगत क्रय के संबंध में प्राप्त ई–मेल के अधिकतम 24 घंटे के अंदर निर्णय लेकर संबंधित संस्था को यथोचित अनुमति निर्गत की जायेगी।

6. चिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं संस्थान के निदेशक एवं महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यो द्वारा सामग्री की आवश्यकता एवं औचित्य का निर्धारण किये जाने के उपरान्त सामग्री का क्रय किया जायेगा।

7. क्रय की गयी सामग्री की मात्रा, मानकों का अनुपालन, गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट के सत्यापन का उत्तरदायित्व चिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपति, संस्थान के निदेशक तथा मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्य का होगा।

8. उपकरण/कन्ज्यूमेबल/औषधि/स्पेयर्स का क्रय विभागीय बजट अथवा जिलाधिकारियों को इस हेतु दी गयी राहत धनराशि से किया जा सकेगा।

COVID-19 Go

9— इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या—407/71—4—2020, दिनांक 23.03.2020 एवं शासनादेश संख्या—747—71—2—2020—698/2020, दिनांक 23 मार्च, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या—805(1)/71—2—20—तद्दिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5— मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

COVID-19 Go